न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2013 निगरानी R - 4232-II/13

1. घनश्याम
2. धनीराम
3. मनमोहन उर्फ राममोहन
4. जानकी
5. लक्ष्मीनारायण
6. रामदास समस्त पुत्रगण स्व. लल्ला कुशवाह

निवासीगण मण्डी के पास शिवजी मन्दिर दतिया, जिला– दतिया–––आवेदकगण

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. विनित वर्मा पुत्र स्व. श्रीराम वर्मा

निवासी 70 शिवगिर मंदिर मार्ग दतिया जिला–दतिया –अनावेदकगण

अनुविभागीय अधिकारी दतिया द्वारा प्रकरण कमांक 17 अ–68/12–13 मेंपारित आदेश- दिनांक 27–07–2013 एवं 2–8–2013 के विरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी आवेदर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायदान हेतु प्रस्तुत करते है:–

1– यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय का विवादित आदेश एवं कार्यवाही अवैध अनुचित एवं विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4232–दो/13 जिला– दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
2.03.16	यह निगरानी प्रकरण कमांक 4232–दो/13 राजस्व मण्डल में अनुविभागीय अधिकारी दतिया के प्रकरण कमांक 17/अ–68/12–13 में पारित आदेश दिनांक 27.7.13 एवं 2.8.13 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है। प्रकरण में ग्राह्यता पर निर्णय के पूर्व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने जाने एवं अभिलेख देखे जाने का निर्णय हुआ था। प्रकरण में अनावेदकगण ने दिनांक 8.12.15 को सारभूत तथ्यों को छिपाये जाने के कारण प्रकरण खारिज किये जाने हेतु एक आवेदन दिया था। अतः इस आवेदन और ग्राहयता पर उभयपक्ष को एक साथ सुना गया, अभिलेख देखे गये, और अब यह आदेश पारित किया जा रहा है । 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । अनुविभागीय अधिकारी ने आरोपित आदेशों से निगरानीकर्तागण के मृतक पिता लल्ला को बाद संपत्ति से कब्जा हटाने और सिविल जेल के नोटिस दिये थे। इसके विरूद्ध निगरानी पक्ष की ओर माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन नं0 7973/2013 में पारित आदेश दिनांक 1.11.13 से उस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के 30 दिन में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के आदेश के विरूद्ध अपील/निगरानी फाइल करने का निर्देश हुआ। इस पर निगरानीकर्ता पक्ष ने दिनांक 27.7.13 को राजस्व मण्डल में यह निगरानी प्रस्तुत थी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश	

दिनांक 27.7.13 के आदेश दिनांक 1.11.13 के विरूद्व अपील हुई, जिसमें प्रकरण कमांक रिट अपील 531/2013 में पारित आदेश दिनांक 19.11.13 से 1.11.13 का आदेश स्थगित हुआ, और तदुपरांत दिनांक 13.2.14 को यह अन्तिम आदेश हुआ कि अनुविभागीय अधिकारी का नोटिस सिवलि सूट के निर्णय के अधीन रहेगा (जो अभी होना शेष है)।

3– गैरनिगरानीकर्ता पक्ष के अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि राजस्व मण्डल में निगरानी उच्च न्यायालय के दिनांक 19.11.13 को पारित स्थगनादेश के बाद प्रस्तुत हुई है, अतः इसे खारिज किया जाय।

निगरानी पक्ष के अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होंने राजस्व मण्डल में जब 27.11.13 को यह निगरानी प्रस्तुत की, तब उन्हें 19.11.13 के माननीय उच्च न्यायालय के स्थगनादेश की जानकारी नहीं थी। क्यों कि वह अनुपस्थिति में पारित हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि विषयान्तर्गत प्रचलित सिविल सूट स्वत्व से संबंधित है और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 13.2.14 से अनुविभागीय अधिकारी के नोटिस को इस सिविल सूट के निर्णय के तत्वाधीन (subject to it) बताया है । इस आधार पर सिविल वाद के निपटारे तक अनुविभागीय अधिकारी के नोटिस पर coercive action नहीं लिये जाने के निर्देश दिये ~~जाने का निवेदन किया~~ जाकर प्रकरण समाप्त किये जाने का निवेदन किया ।

4– प्रकरण में तर्क सुनकर और अभिलेख देखकर विचार उपरांत मैं यह पाता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय ने रिट अपील 531/2013 में पारित आदेश दिनांक 13.2.14 में अनुविभागीय अधिकारी के नोटिस को विषयान्तर्गत स्वत्व के संबंध में प्रचलित सिविल सूट के अन्तिम निर्णय

के उपर निर्भर होना (**subject to it**) बताया है । अतः मैं यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के नोटिस के आधार पर सिविल सूट में अन्तिम निर्णय होने तथा के लिये (और उस निर्णय के प्रकाश में ही), निगरानीकर्तागण के विरूद्ध **coercive action** नहीं लिये जाने के निर्देश के साथ इसी प्रकम पर समाप्त करता हूँ और प्रकरण अग्राह्य करता हूँ।

आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख वापिस हो। प्रकरण समाप्त। दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य 2.3.16